मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 43), मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 19) द्वारा 02.08.2019 से प्रभावी [अधिसूचना संख्या एसओ 2756(ई) दिनांक 01.08.2019 एवं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 34) के अनुसार संशोधित]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 43), मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 19) द्वारा 02.08.2019 से प्रभावी [अधिसूचना संख्या एसओ 2756(ई) दिनांक 01.08.2019 एवं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 34) के अनुसार संशोधित]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, सी–ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

आई.एन.ए., नई दिल्ली – 110023

वेबसाइट : www.nhrc.nic.in

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993*

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

(8 जनवरी, 1994)

मानव अधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

*मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित–2006 का अधिनियम संख्यांक 43।

*मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित–2019 का अधिनियम संख्यांक 19।

विषय – सूची

प्रस्तावना — पृष्ठ संख्या

अध्याय – 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ — 1
2. परिभाषाएं — 1

अध्याय – 2
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन — 3
4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति — 4
5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना — 4
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि — 5
7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन — 6
8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें — 6
9. रिक्तियों, आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना — 6
10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना — 6
11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द — 7

अध्याय – 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य 8

13. जांच से संबंधित शक्तियां 9

14. अन्वेषण 10

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन 11

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है 11

अध्याय – 4

प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच 12

18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई 12

19. सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया 13

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट 14

अध्याय – 5

राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन 15

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 16

23. राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना 17

24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 17

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन 18

26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें 18

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द 18

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें 19

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना 19

अध्याय – 6

मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय 20

31. विशेष लोक अभियोजक 20

अध्याय – 7

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान 21

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान 21

34. लेखा और संपरीक्षा 21

35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा 22

अध्याय – 8

विविध

36.	आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय	23
37.	विशेष अन्वेषण दलों का गठन	23
38.	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	23
39.	सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना	23
40.	नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति	24
40क.	भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति	25
40ख.	आयोग की विनियम बनाने की शक्ति	25
41.	नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति	26
42.	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	26
43.	निरसन और व्यावृत्ति	26

अध्याय – 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

[1][***]

(3) यह 28 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''सशस्त्र बल'' से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है;

(ख) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

[2][(खक) ''मुख्य आयुक्त'' से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है (2016 का 49);]

(ग) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''मानव अधिकार'' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है;

(ङ) ''मानव अधिकार न्यायालय'' से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है;

[3][(च) ''अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा'' से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर

---

1 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 95, 96 और पांचवी अनुसूची, तालिका I द्वारा परन्तुक का लोप किया/हटाया गया, लोप किए जाने से पहले के प्रावधान निम्नानुसार थे: ''बशर्ते कि यह केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा क्योंकि यह सातवीं अनुसूची में सूची I या सूची III में सूचीबद्ध किसी भी प्रविष्टि से संबंधित मामलों से संबद्ध है, जैसा कि राज्य के लिए लागू है।''

2 2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा अंतः स्थापित।

3 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;,

[1][(छ) "सदस्य" से, यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;]

[2][(छक) ''राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है (1993 का 27);]

(ज) ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है (1992 का 19);

[2][(जक) ''राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग" से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है (2006 का 4);]

[1][(झ) ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है;]

[1][(झक) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है;]

(ञ) ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है (1990 का 20);

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है (1860 का 45);

(ढ) ''राज्य आयोग" से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू – कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो; प्रति निर्देश है ।

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

[2]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा अंतः स्थापित ।

अध्याय – 2
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो [1][उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश] रहा है;

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;

(घ) [2][तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी], जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

(3) [3][राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग], [4][राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग] और [5][राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त] धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह [6][अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के) का प्रयोग करेगा''']

---

[1]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''मुख्य न्यायमूर्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''दो सदस्यों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4]2006 के अधिनियम संख्याक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23–11–2006 से प्रभावी।

[5]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो (न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति :

(1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [1][अन्य सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) प्रधान मंत्री – अध्यक्ष

(ख) लोकसभा का अध्यक्ष – सदस्य

(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री – सदस्य

(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य

(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य

(च) राज्य सभा का उप सभापति – सदस्य :

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [2][उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है]।

[3][5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

[2]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा "समिति में कोई रिक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

[3]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

किए जाने पर उच्चतम न्यायलाय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(3) कोई सदस्य उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है]।

[1][6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि]

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से [2][तीन वर्ष] की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा [3][और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा]

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से [2][तीन वर्ष] की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा [4][***] पुनः नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

[2]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा अंतः स्थापित।

[4]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा "पांच वर्ष की और अवधि के लिए" शब्दों का लोप किया गया।

7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

[1][8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

[1][(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी।]

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द

(1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा, और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अध्याय – 3
आयोग के कार्य और शक्तियां

12. आयोग के कार्य

आयोग निम्नलिखित सभी या कुछ कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थातः–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा [1][या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश पर] उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर–

(i) मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुष्प्रेषण किए जाने की; या

(ii) ऐसे उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत के बारे में जांच करना;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

[2][(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना];

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा अंतः स्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

[2]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर – सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

13. जांच से संबंधित शक्तियां

(1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात्:–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला करने लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

[1](6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लम्बित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा;

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो।

[1](7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरम्भ में उसके समक्ष फाइल की गई हो।

14. अन्वेषण

(1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए :

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, और

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा अंतः स्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के किसी अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षो के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन

आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन :

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है

यदि जांच के किसी अनुक्रम में :–

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है, या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

अध्याय – 4
प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच

आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय–

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा :

परन्तु–

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरम्भ कर सकेगा।

[1][18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई

आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के उल्लंघन का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसान की भरपाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;

(घ) खण्ड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका – टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा] ।

19. सशस्त्र बलों से संबंधित प्रक्रिया

(1) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :–

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट

(1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद या राज्य विधान – मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय – 5
राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन

(1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।

[1][(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा अर्थात्:–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का [2][मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश] रहा है;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है;

(ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है]।

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह [3][अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा],

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि जम्मू–कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो ''केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

[2]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''मुख्य न्यायमूर्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा ''राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत'' शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू–कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान–मंडल को विधियां बनाने की शक्ति हैं'' शब्द और अंक रख दिए गए हों ।

[1][(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ–साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है:

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी ।]

[2][(7) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी ।]

[2][(8) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।]

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और [3][सदस्यों] की नियुक्ति

(1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [3][सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) मुख्य मंत्री – अध्यक्ष

(ख) विधान सभा का अध्यक्ष – सदस्य

(ग) उस राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री – सदस्य

(घ) विधान सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद है वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा, नहीं ।

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

[2]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा अंतः स्थापित ।

[3]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा ''अन्य सदस्यों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [1][उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है ।]

23. [2][राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना ।]

[3][(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए] ।,

(2) [3][उपधारा (1क)] में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई [4][सदस्य] :–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतग्रस्त है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी [1][सदस्य] को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।

[2][24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से [5][तीन वर्ष] की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा [6][और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा]

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा "समिति में कोई रिक्ति है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

[2]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा पार्श्व शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

[3]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

[4]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

[5]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा अंतः स्थापित ।

[6]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से [1][तीन वर्ष] की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा [2][***] पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।]

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

[3][26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द

(1) राज्य सरकार आयोग को–

(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा, और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द,

---

[1]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]2019 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा "पांच वर्ष की और अवधि के लिए" शब्दों का लोप किया गया।

[3]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो यह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट

(1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान – मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान – मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना

धारा 9, धारा 10, धारा 12 धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16 धारा 17 और धारा 18 के उपबन्ध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :

(क) "आयोग" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग'' के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, ''महासचिव" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 17 के खंड (i) में से केन्द्रीय सरकार या किसी "शब्दों" का लोप किया जाएगा।

अध्याय – 6
मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्‌भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए –

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

31. विशेष लोक अभियोजक

राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

अध्याय – 7
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

(1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझें।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो यह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(1) राज्य सरकार, विधान – मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

34. लेखा और संपरीक्षा

(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज–पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग दवारा, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा

(1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक– महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज–पत्र पेश किए जाने को मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक– महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्टें सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय – 8
विविध

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय

(1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का उल्लंघन गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के उल्लंघनों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज–पत्र, या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना

आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 8 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते;

(ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है;

(घ) वह प्रारूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने है; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा ''सदस्यों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

[1][**40क. भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति** – धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]

[2][**40ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति**

(1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

---

[1]2000 के अधिनियम संख्यांक 49 द्वारा अंतः स्थापित, 11.12.2000 से प्रभावी ।

[2]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा अंतः स्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी ।

41. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(ग) धारा 26 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते,

(ग) वह प्रारूप, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान–मंडल के दो सदन है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान–मंडल का एक सदन हैं वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

43. निरसन और व्यावृत्ति

(1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

---

[1]2006 के अधिनियम संख्यांक 43 द्वारा प्रतिस्थापित, 23.11.2006 से प्रभावी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, सी–ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली – 110023, भारत
ई–मेलः covdnhrc@nic.in वेबसाइट : www.nhrc.nic.in